संसदीय समिति का मामला

तत्काल

सं. 41013/1/2013-स्था.(घ)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक : 25 मार्च, 2013

कार्यालय ज्ञापन

विषय : **अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति के संबंध में विभाग से संबद्ध संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशें**

अधोहस्ताक्षरी को अनुकम्पा आधार पर सरकार की नीति के संबंध में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि एवं न्याय पर विभाग से संबद्ध संसदीय स्थायी समिति, राज्य सभा द्वारा दी गई 23वीं रिपोर्ट के पैरा 9.3 का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है । समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :

i. सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देशों/परिपत्रों का अनुपालन किया जाना चाहिए और प्रत्येक प्रशासनिक मंत्रालय से प्रतिपुष्टि प्राप्त की जानी चाहिए ताकि जारी किए गए अनुदेशों पर उचित रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके ।

ii. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जिस प्रशासनिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है उसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है और उसे भारत सरकार द्वारा जारी प्रत्येक अनुदेश को सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों तक पहुंचाना चाहिए और उनसे पुष्टि प्राप्त करनी चाहिए और सरकार को प्रतिपुष्टि भेजनी चाहिए ।

iii. सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के संबंध में प्रशासनिक विभागों द्वारा कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) को एक वार्षिक रिपोर्ट अवश्य भेजी जानी चाहिए है और कार्मिक मंत्रालय को भी इस मामले पर प्रति वर्ष एक रिपोर्ट अवश्य मंगवानी चाहिए ।

2. लोक उद्यम विभाग द्वारा उनके दिनांक 11 मार्च, 2008 के पत्र संख्या 2(63) 07-डीपीई (जीएम) के तहत समिति को सूचित किया कि विठल समिति द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति के मामले में उनके द्वारा जारी मार्गनिदेशों की समीक्षा की गई है । सीपीएसई को उनकी प्रचालात्मक/ व्यावसायिक अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अनुकम्पा नियुक्ति के मामले पर उनके अपने मार्गनिर्देश तैयार करने की स्वायत्तता प्रदान की गई थी । वित्तीय सेवाएं विभाग ने सूचित किया कि भारतीय बैंक संगठन द्वारा तैयार की गई एवं सार्वनिक क्षेत्र के सभी बैंको को परिचालित की गई योजना अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति में समान रूप से लागू होना या इसके स्थान पर अनुग्रह राशि का प्रावधान सुनिश्चित करती है ।

3. सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से उस वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति के संबंध में सरकारी अनुदेशों के कार्यान्वयन की स्थिति का उल्लेख करते हुए प्रतिवर्ष 30 अप्रैल तक संलग्न प्रोफार्मा में वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है । शुरू में 01.04.2010 से 31.03.2011, 01.04.2011 से 31.03.2012 और 01.04.2012 से 31.03.2013 तक की अवधि को शामिल करते हुए तीन वर्षों की अलग-अलग रिपोर्टें प्रस्तुत की जाएं । इसके बाद पूर्ववर्ती वर्ष की 01 अप्रैल से चालू वर्ष की 31 मार्च तक की अवधि को शामिल करते हुए एक वार्षिक रिपोर्ट भेजी जाए । रिपोर्ट को अग्रेषित करते समय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों/बैंकों/बीमा कम्पनियों, स्वायत्त निकायों आदि में अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति की स्थिति का उल्लेख किया जाए ।

(विरेन्दर सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23093804

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. तकनीकी निदेशक, एनआईसी-कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के वेबसाइट पर